Seventeenth Loksabha

>

Title: Request government to make law for compulsory rain water harvesting to recharge the ground level of water.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भू-जल का जो गिरता स्तर है, उस चिंता के विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । विशेष रूप से दिल्ली राजधानी के अंदर अभी अखबारों, टेलीविजन के माध्यम से देखने को मिला है कि जनवरी, 2020 तक भू-जल जीरो के करीब रेटिंग पर नीचे ग्राउंड लेवल पर पहुँच जाएगा । यह बहुत चिंता का विषय है । राज्य की सरकारें इसकी चिंता नहीं कर रही हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और वे समय-समय पर इस बात को दोहरा भी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल को कैसे और ऊपर लाया जाए, वरना वह जिस जीरो लेवल पर जा रहा है, उससे जहरीले लवण उसके अंदर आ रहे हैं । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभी यह पाया है, उस कमेटी को भी उसमें जहरीले लवण मिले हैं । यमुना के किनारे बदरपुर विधान सभा में ओज़ोन के माध्यम से लगभग तीन किलोमीटर लंबे एरिया को ओज़ोन करके वहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जाता है । भ्रष्टाचार के माध्यम से वहाँ पर जो दोहन जमीन का होता है, क्योंकि उसका लेवल, अगर वहाँ पर डीमॉर्केशन प्रॉपर-वे में हो जाए कि यमुना के किनारे 40-60-70 मीटर, कितना वह ओजोन है, जिसके अंदर उसका रख-रखाव हो । सरकारी एजेंसियाँ उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं । इस पर एक सख्त कानून की आवश्यकता है । सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्य सरकारों को इस प्रकार का आदेश जाना चाहिए कि वे इसकी चिंता करें । जो बोर कराते हैं, उन बोर के माध्यम से भ्रष्टाचार भी हो रहा है और साथ ही साथ 100 फीट पर पानी आ नहीं रहा है । गाँवों के अंदर जो तालाब हैं, वहाँ पर कूड़े के ढेर बन गए हैं । दिल्ली के अंदर कम से कम 300 तालाब हैं । पिछले चार वर्ष में एक भी तालाब

को साफ करके किसी में कुछ काम नहीं किया गया है । मैं उनकी फोटो भी लेकर आया हूँ । आर्य नगर से लेकर, घिटोरनी से लेकर, जसोला, मैदान गढ़ी, नेब सराय आदि में लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं । वहाँ भू-जल स्तर बढ़ जाए, उन तालाबों के रख-रखाव की व्यवस्था हो, इसके लिए एक कानून बनना चाहिए । यह एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए कि अगर कोई सोसायटीज के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग को नहीं करेगा तो उसके खिलाफ यह कार्रवाई होगी । ऐसी व्यवस्था केंद्र के माध्यम से होनी चाहिए । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।